न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुझुनू

पीठासीन अधिकारी–

एम0 आर0 बागड़िया
आर0ए0एस0

अपील संख्या–04/2017

मुमताज खान पुत्र भोले खां,जाति कायमखानी निवासी मलसीसर, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

–अपीलान्ट

–बनाम–

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।

–रेस्पोडेन्ट

अपील अ.धा. 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956
खिलाफ निर्णय दिनांक 07.02.2017 बअदालत तहसीलदार मलसीसर
मुकदमा उनवानी सरकार बनाम मुमताज मु.न. 63/2015
अ.धा. 91 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री मुश्ताक अली, एडवोकेट———————— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी ,एडवोकेट———————— रेस्पोडेन्ट की ओर से।

– निर्णय– **दिनांक–31.5.2018**

उक्त उनवानी अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 07.02.2017 मुकदमा नंबर 63/2015 बमुकदमा उनवानी सरकार, मुमताज अन्तगर्त धारा 91 नायब तहसीलदार मलसीसर के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि –अपीलांट का वाके ग्राम मलसीसर की सरहद में एक भूखण्ड गत खसरा नंबर 466/1 रकबा 1109 बीघा 10 बिस्वा हाल खसरा नंबर 777 रकबा 27.56 हैक्टर गैर मुमकिन भूमि स्थित है। जिस पर अपीलांट के पिता स्व0 भोले खां ने सरपंच ग्राम पंचायत मलसीसर की इजाजत से उक्त भूखण्ड पर चूना निकालने का घरठ स्थित है जिस में घरठ निकाल कर अपीलांट व उसके पिता ने अपनेमकान करीब 35 वर्ष पूर्व तामिर किये। उक्त घरठ 52 वर्ष पुराना है। उक्त भूखण्ड पर स्व0 भोले खां 1984 तक काबिज रहे। उनका स्वर्गवास 1984 में होने के बाद अपीलांट उक्त भूखण्ड पर शांति

पूर्वक काबिज हो गया जिसको अपीलांट उपयोग एवं उपभोग करता है। उक्त भूखण्ड के उत्तर में पुख्ता सड़क, दक्षिण में कुये की गूण, पूर्व में आबादी व पश्चिम में आबादी है।उक्त विवादित भूखण्ड के चारों ओर दूर दूर तक बसासत व आबादी भूमि है। अपीलांट का भूखण्ड आबादी के बीच स्थित है। अपीलांट के खिलाफ अदालत मातहतने हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर अंधारा 91 राज0 भू0 राजस्व अधि0 के तहत प्रकरण संख्या 98/93 में दिनांक 02.9.1993 को उक्त भूखण्ड से बेदखली के आदेश प्रदान किये। जिसकी अपील अपीलांट ने जिला कलक्टर, झुंझुनू की अदालत में पेश की । अपीलांट की अपील दिनांक 22.3.1995 को स्वीकार फरमाई गयी एवं निर्णय दिनांक 2.9.1993 को निरस्तकर दिया गया। उक्त प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अदालत मातहत के न्यायालय में रिमाण्ड कर दिया गया। अदालत मातहत ने अपर जिला कलक्टर झुंझुनू के निर्णय दिनांक 22.3.1995 के निर्देशों की अवहेलना करते हुये अदालत मातहत ने अपनी मनमर्जी से पुनः दिनांक 12.3.1997 को विवादित भूखण्ड की बेदखली के आदेश प्रदान किये। अपीलांट ने अदालतमातहत के निर्णय दिनांक 12.3.1997 के निर्णय के खिलाफ अपील उनवानी मुमताज बनाम सरकार प्रकरण संख्या 63/97 के निर्णय के खिलाफ अपील उनवानी मुमताज बनाम सरकार प्रकरण संख्या 63/97 जिला कलेक्टर झुंझुनू की अदालत में पेश किया। न्यायालय जिला कलक्टर ने पुनः अपील को स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 12.3.1997 को पुनः निरस्त कर दिया एवं भूखण्ड को आबादी भूमि में होने की जांच करने के निर्देश दिये गये। अदालत मातहत गांव के प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव में होने की वजह से अपीलांट को अदालत मातहत से न्याय की उम्मीद नहीं होने की सूरत में राजस्व अपील अधिकारी सीकर के यहां अपीलइस आश की पेश की कि उक्त भूखण्ड चूंकि आबादी की भूमि में होने से अपीलांट के हक में नियमन किया जाना आवश्यक है। परन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर ने अपीलांट की अपील दिनांक 16.9.1999 को निरस्त फरमा दी जिसकी रिविजन अपीलांट ने राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की। राजस्व मण्डल अजमेर ने दिनांक 1.10.1999 को अपीलांट की निगरानी स्वीकार फरमाते हुये निर्णय दिनांक 16.9.1999 को निरस्त फरमाते हुये जिला कलक्टर झुंझुनू के आदेश 22.4.1997 को यथावत रखते हुये प्रकरण की सुनवाई हेतु दिनांक 1.12.1999 तारीख पेशी निश्चित की । नायब तहसीलदार मलसीसर के निर्णय के विरूद्ध जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो दिनांक 21.12.1999 को अस्वीकार फरमायी। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी सीकर केम्प झुंझुनू के समक्ष अपील संख्या 3/2000 प्रस्तुत की जो दिनांक 29.3.2001 को

स्वीकार फरमायी गई एव नायब तहसीलदार मलसीसर को उक्त भूमि की जांच करने हेतु निर्देशित किया। नायब तहसीलदार मलसीसर ने अभी तक माननीय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुंझुनू व निर्णय दिनांक 29.3.2001 की जाचं नहीं की है। उक्त पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से सुनवाई हेतु अदालत मातहत में भिजवाई गयी। इसी दौरान अपीलांट द्वारा उक्त वर्णित भूमि का पट्टा बनवाने हेतु दिनांक 26.9.2013 को उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के समक्ष आवेदन किया जो कि तहसीलदार महोदय मलसीसर को तथ्यों की जांच हेतु भेजा। हल्का पटवारी ने जाुच रिर्पोट के विपरित अतिकमण की रिपोर्ट अदालत मातहत में प्रस्तुत की। अदालत मातहत ने अपीलांट के विरूद्ध अं0धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस जारी किये गये। अपीलांट को उक्त प्रकरण में सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय दिनांक 24.7.2014 को अपीलांट के विरूद्ध बेदखली के आदेश प्रदान किये है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने न्यायालय अपर जिला कलेक्टर,झुंझुनू के समक्ष अपील प्रस्तुत की।दिनांक 25.7.2015 को अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार मलसीसर का निर्णय दिनांक 24.7.2014 मु0नं0 12/14 निरस्त फरमाया जाकर पत्रावली इस आशय के साथ रिमाण्ड की गई कि अपीलांटको साक्ष्य सफाई व गुणावगुण के आधार पर निर्णय प्रदान करें। उक्त उनवानी मुकदमें में तहसीलदार द्वारा दिनांक 3.9.2015 को सुनवाई हेतु अपीलांट को नोटिस जारी किये गये । अपीलांट ने जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया । तहसीलदार ने अपीलांट की वर्णित विवादित भूमि बाबत खसरा नंबर 777 रकबा 27.56 हैक्टर गैर मुमकिन में अपीलांट के कब्जे व अधिकार में 350 वर्गमीटर भूमि के किस्म की रिपोर्ट हल्का पटवारी से मांगी गई। हल्का पटवारी ने नाजायत व गैर कानूनी रूप से उक्त खसरा नंबर 777 रकबा 27.56 हैक्टर का राजस्व रिकार्ड शमशान भूमि दर्शाते हुये अपनी रिपोर्ट में अपीलांट का कब्जा बताया। जब कि अपीलांट का कभी–भी खसरा नंबर 777 रकबा 27.56 हैक्टर गैर मु0 बंजड भूमि के अलावा शमशान भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है। हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट को आधार मानते हुये तहसीलदार महोदय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर गौर कानूनी रूप से कानूनी तथ्यों की विवेचना किये बगैर आदेश दिनांक 7.2.2017 प्रदान किया है जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश कर निवेदन किया कि–अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 7.2.2017 खिलाफ कानून व विरूद्ध पत्रावली होने की वजह से निरस्त होने योग्य है। अपीलांट का विवादित भूखण्ड पर करीब 52 वर्षो से उसके पिता के समय से शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। अदालत मातहत में अपीलांट ने हल्का

पटवारी द्वारा प्रस्तुत गलत रिपोर्ट पर आक्षेप करते हुये पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने का प्रार्थना पत्र अदालत मातहत में पेश किया लेकिन अदालत मातहत ने उक्त प्रार्थना पत्र पर गौर नहीं कर नाजायज व गैर कानूनी रूप से अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 भू0 राजस्व अधि0 की कार्यवाही की है और विधिक प्रकिया की सख्त अवहेलना की है, इसलिए अदालत मातहत का आदेश दिनांक 7.2.2017 निरस्त होने योग्य है। खसरा नंबर 777 रकबा 27.56 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन बंजड दर्ज है व अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 भू0 रा0 अधि0 का नोटिस भी वर्णित भूमि बाबत प्रदान किया गया था। हल्का पटवारी ने नाजायज व गैर कानूनी रूप से राजस्व रिकार्ड व मौके की सूरत में फेरबदल कर अपनी रिपोर्ट में खसरा नंबर 777 की भूमि जिस पर अपीलांट का 350 वर्ग मीटर भूमि पर गत 40 वर्षों से निर्बाध रूप से काबिज है, को शमशान भूमि बताकर गलत रिपोर्ट पेश की। अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर गौर नहीं कर कानूनन भूल की है, इसलिए अदालत मातहत का आदेश दिनांक 07.2.2017 निरस्त होने योग्य है। अपीलांट का भूखण्ड आबादी भूमि में स्थित है। जिस पर अपीलांट अपने पिता भोले खां के समय गत 52 वर्षों से काबिज व स्वामित्व में चला आ रहा है। उक्त भूखण्ड पर अपीलांट को लंबे कब्जे के आधार पर स्वामित्व अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। किन्ही परिस्थितियों में उक्त भूमि को बंजड़ भूमि भी माना जाता है तो भी अपीलांट को रेस्पोडेंट अन्य व्यक्तियों के दबाव में बेदखल नहीं कर सकते। राजस्थान सरकार पूर्ववर्ती परिपत्र व राजस्व ग्रुप 6 विभाग के परिपत्र संख्या 9क (9) (6) राज–6/2000/1 दिनांक 11.1.2008 के आधार पर भी अपीलांट विवादित भूखण्ड के नियमन का अधिकारी है। अदालत मातहत ने राजस्व अपील अधिकारी सीकर केम्प, झुंझुनू के निर्णय दिनांक 29.3.2001 एवं श्रीमानजी के आदेश 3.9.2015 के आदेश व निर्देश की पालना किए बिना एवं बिना जाचं किये एवं अपीलांट का साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय दिनांक 7.2.2017 पारित किया है, जो निरस्त होने योग्य है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि – अपीलांट का वाके ग्राम मलसीसर की सरहद में एक भूखण्ड गत खसरा नंबर 466/1 रकबा 1109 बीघा 10 बिस्वा हाल खसरा नंबर 777 रकबा 27.56 हैक्टर गैर मुमकिन भूमि स्थित है। जिस पर अपीलांट के पिता स्व0 भोले खां ने सरपंच ग्राम पंचायत मलसीसर की इजाजत से उक्त भूखण्ड पर चूना निकालने का घरठ स्थित है जिस में घरठ निकाल कर अपीलांट व उसके पिता ने अपने मकान करीब 35 वर्ष पूर्व तामिर किये। उक्त घरठ 52 वर्ष पुराना है। उक्त भूखण्ड पर स्व0 भोले खां 1984 तक काबिज रहे। उनका स्वर्गवास 1984 में होने के बाद अपीलांट उक्त भूखण्ड पर शांति पूर्वक काबिज हो गया जिसको अपीलांट उपयोग एवं उपभोग करता है। उक्त भूखण्ड के उत्तर में पुख्ता सड़क, दक्षिण में कुये की गूण, पूर्व में आबादी व पश्चिम में आबादी है।उक्त विवादित भूखण्ड के चारों ओर दूर दूर तक बसासत व आबादी भूमि है। अपीलांट का भूखण्ड आबादी के बीच स्थित है। अपीलांट के खिलाफ अदालत मातहतने हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर अं0धारा 91 राज0 भू0 राजस्व अधि0 के तहत प्रकरण संख्या 98/93 में दिनांक 02.9.1993 को उक्त भूखण्ड से बेदखली के आदेश प्रदान किये। जिसकी अपील अपीलांट ने जिला कलक्टर, झुंझुनू की अदालत में पेश की । अपीलांट की अपील दिनांक 22.3.1995 को स्वीकार फरमाई गयी एवं निर्णय दिनांक 2.9.1993 को निरस्तकर दिया गया। उक्त प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अदालत मातहत के न्यायालय में रिमाण्ड कर दिया गया। अदालत मातहत ने अपर जिला कलक्टर झुंझुनू के निर्णय दिनांक 22.3.1995 के निर्देशों की अवहेलना करते हुये अदालत मातहत ने अपनी मनमर्जी से पुनः दिनांक 12.3.1997 को विवादित भूखण्ड की बेदखली के आदेश प्रदान किये। अपीलांट ने अदालतमातहत के निर्णय दिनांक 12.3.1997 के निर्णय के खिलाफ अपील उनवानी मुमताज बनाम सरकार प्रकरण संख्या 63/97 के निर्णय के खिलाफ अपील उनवानी मुमताज बनाम सरकार प्रकरण संख्या 63/97 जिला कलेक्टर झुंझुनू की अदालत में पेश किया। न्यायालय जिला कलक्टर ने पुनः अपील को स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 12.3.1997 को पुनः निरस्त कर दिया एवं भूखण्ड को आबादी भूमि में होने की जांच करने के निर्देश दिये गये। अदालत मातहत गांव के प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव में होने की वजह से अपीलांट को अदालत मातहत से न्याय की उम्मीद नहीं होने की सूरत में राजस्व अपील अधिकारी सीकर के यहां अपीलइस आशा की पेश की कि उक्त भूखण्ड चूंकि आबादी की भूमि में होने से अपीलांट के हक में नियमन किया जाना आवश्यक है। परन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर ने अपीलांट की अपील

दिनांक 16.9.1999 को निरस्त फरमा दी जिसकी रिविजन अपीलांट ने राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की। राजस्व मण्डल अजमेर ने दिनांक 1.10.1999 को अपीलांट की निगरानी स्वीकार फरमाते हुये निर्णय दिनांक 16.9.1999 को निरस्त फरमाते हुये जिला कलक्टर झुंझुनू के आदेश 22.4.1997 को यथावत रखते हुये प्रकरण की सुनवाई हेतु दिनांक 1.12.1999 तारीख पेशी निश्चित की । नायब तहसीलदार मलसीसर के निर्णय के विरूद्ध जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो दिनांक 21.12.1999 को अस्वीकार फरमायी। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी सीकर केम्प झुंझुनू के समक्ष अपील संख्या 3/2000 प्रस्तुत की जो दिनांक 29.3.2001 को स्वीकार फरमायी गई एव नायब तहसीलदार मलसीसर को उक्त भूमि की जांच करने हेतु निर्देशित किया। नायब तहसीलदार मलसीसर ने अभी तक माननीय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुंझुनू व निर्णय दिनांक 29.3.2001 की जाचं नहीं की है। उक्त पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से सुनवाई हेतु अदालत मातहतमें भिजवाई गयी। इसी दौरान अपीलांट द्वारा उक्त वर्णित भूमि का पट्टा बनवाने हेतु दिनांक 26.9.2013 को उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के समक्ष आवेदन किया जो कि तहसीलदार महोदय मलसीसर को तथ्यों की जांच हेतु भेजा। हल्का पटवारी ने जांच रिर्पोट के विपरित अतिक्रमण की रिपोर्ट अदालत मातहत में प्रस्तुत की। अदालत मातहत ने अपीलांट के विरूद्ध अं0धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस जारी किये गये। अपीलांट को उक्त प्रकरण में सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय दिनांक 24.7.2014 को अपीलांट के विरूद्ध बेदखली के आदेश प्रदान किये है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने न्यायालय अपर जिला कलेक्टर,झुंझुनू के समक्ष अपील प्रस्तुत की।दिनांक 25.7. 2015 को अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार मलसीसर का निर्णय दिनांक 24.7.2014 मु0नं0 12/14 निरस्त फरमाया जाकर पत्रावली इस आशय के साथ रिमाण्ड की गई कि अपीलांट को साक्ष्य सफाई व गुणावगुण के आधार पर निर्णय प्रदान करें। उक्त उनवानी मुकदमें में तहसीलदार द्वारा दिनांक 3.9.2015 को सुनवाई हेतु अपीलांट को नोटिस जारी किये गये । अपीलांट ने जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया । तहसीलदार ने अपीलांट की वर्णित विवादित भूमि बाबत खसरा नंबर 777 रकबा 27.56 हैक्टर गैर मुमकिन में अपीलांट के कब्जे व अधिकार में 350 वर्गमीटर भूमि के किस्म की रिपोर्ट हल्का पटवारी से मांगी गई। हल्का पटवारी ने नाजायत व गैर कानूनी रूप से उक्त खसरा नंबर 777 रकबा 27.56 हैक्टर का राजस्व रिकार्ड शमशान भूमि दर्शाते हुये अपनी रिपोर्ट में अपीलांट का कब्जा बताया। जब कि अपीलांट

का कभी–भी खसरा नंबर 777 रकबा 27.56 हैक्टर गैर मु0 बंजड भूमि के अलावा शमशान भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है। हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट को आधार मानते हुये तहसीलदार महोदय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर गौर कानूनी रूप से कानूनी तथ्यों की विवेचना किये बगैर आदेश दिनांक 7.2.2017 प्रदान किया है जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश कर निवेदन किया कि–अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 7.2.2017 खिलाफ कानून व विरूद्ध पत्रावली होने की वजह से निरस्त होने योग्य है। अपीलांट का विवादित भूखण्ड पर करीब52 वर्षों से उसके पिता के समय से शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। अदालत मातहत में अपीलांट ने हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत गलत रिपोर्ट पर आक्षेप करते हुये पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने का प्रार्थना पत्र अदालत मातहत में पेश किया लेकिन अदालत मातहत ने उक्त प्रार्थना पत्र पर गौर नहीं कर नाजायज व गैर कानूनी रूप से अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 भू0 राजस्व अधि0 की कार्यवाही की है और विधिक प्रक्रिया की सख्त अवहेलना की है, इसलिए अदालत मातहत का आदेश दिनांक 7.2.2017 निरस्त होने योग्य है। खसरा नंबर 777 रकबा 27.56 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन बंजड दर्ज है व अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 भू0 रा0 अधि0 का नोटिस भी वर्णित भूमि बाबत प्रदान किया गया था। हल्का पटवारी ने नाजायज व गैर कानूनी रूप से राजस्व रिकार्ड व मौके की सूरत में फेरबदल कर अपनी रिपोर्ट में खसरा नंबर 777 की भूमि जिस पर अपीलांट का 350 वर्ग मीटर भूमि पर गत 40 वर्षों से निर्बाध रूप से काबिज है, को शमशान भूमि बताकर गलत रिपोर्ट पेश की। अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर गौर नहीं कर कानूनन भूल की है, इसलिए अदालत मातहत का आदेश दिनांक 7.2.2017 निरस्त होने योग्य है। अपीलांट का भूखण्ड आबादी भूमि में स्थित है। जिस पर अपीलांट अपने पिता भोले खां के समय गत 52 वर्षों से काबिज व स्वामित्व में चला आ रहा हैं। उक्त भूखण्ड पर अपीलांट को लंबे कब्जे के आधार पर स्वामित्व अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। किन्ही परिस्थितियों में उक्त भूमि को बंजड़ भूमि भी माना जाता है तो भी अपीलांट को रेस्पोडेंट अन्य व्यक्तियों के दबाव में बेदखल नहीं कर सकते। राजस्थान सरकार पूर्ववर्ती परिपत्र व राजस्व ग्रुप 6 विभाग के परिपत्र संख्या 9क (9) (6) राज–6/2000/1 दिनांक 11.1.2008 के आधार पर भी अपीलांट विवादित भूखण्ड के नियमन का अधिकारी है। अदालत मातहत ने राजस्व अपील अधिकारी सीकर केम्प, झुंझुनू के निर्णय दिनांक 29.3.2001 एवं श्रीमानजी के आदेश 3.9.2015 के आदेश व निर्देश की पालना किए बिना एवं बिना जाचं किये एवं अपीलांट का साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय दिनांक 7.2.2017 पारित किया है, जो

निरस्त होने योग्य है। अतः अदालत मातहत का आदेश निरस्त कर प्रकरण में नियमन के आदेश फरमावें।

दौराने बहस पैराकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर ने अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 777 किस्म गैर मुमकिन बंजड़ में 350 वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत विधिसम्मत कार्यवाही की गई है । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल मातहत को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण काफी वर्षों से विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन रहा है और कई बार न्यायालय जिला कलक्टर एवं न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तथा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर केम्प, झुंझुनू से रिमाण्ड हो चुका है। इन न्यायालयों द्वारा रिमाण्ड के दौरान दिये गये निर्देशों की बिना पालना किये बिना प्रकरण की जांच किये पुनः पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बेदखल कर दिया जाता रहा है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरित है। अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पर वह अपने पिता भाले खां के समय से पिछले 52 वर्षों से लगातार काबिज है और वादग्रस्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन बंजड़ है जो आबादी में स्थित है। वर्षों पुराने कब्जे के आधार पर उसका प्रकरण नियमन योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में इस संबंध में कोई फाईंडिंग नहीं दी की अपीलांट का प्रकरण नियमन योग्य क्यों नहीं है। जब कि पत्रावली से यह भलीभांति साबित है कि अपीलांट वादग्रस्त भूमि को लेकर वर्ष 1993 से तो अधीनस्थ न्यायालय एवं अन्य विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे लड़ रहा है। जो प्रकरण बार-बार विभिन्न अदालतों से रिमाण्ड हुआ है और जो एक ही विषय वस्तु को लेकर वर्षों चल रहा है उस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर ने निर्णय दिनांक 07.2.2017 जो पारित किया है, वह दो लाईन का निर्णय न्यायिक प्रकिया व अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में दिये गये निर्देशों को दरकिनार कर मनमर्जी से पारित निर्णय है। उक्त निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर ने पूर्व में विभिन्न अदालतों द्वारा रिमाण्ड के दौरान दिये गये निर्देशों की निर्णय दिनांक 07.2.2017 में कोई विवेचना नहीं की है। जबकि अपीलांट का स्पष्ट कथन है कि वादग्रस्त भूमि पर उसका पिछले 52 वर्षों से कब्जा है। वादग्रस्त भूमि के चारों ओर पूर्ण रूप से आबादी बसी हुई है। भूमि की किस्म गैर0 मु0 बंजड़ है, उसका प्रकरण नियमन योग्य है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर ने अपीलांट के उक्त कथनों को नहीं मानने के संबंध में अपने निर्णय में कोई फाईंडिंग नहीं दी है। इस प्रकरण में राजस्व अपील अधिकारी सीकर केम्प झुंझुनू द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.3.2001 एवं हाजा न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.5.2015 द्वारा अधीनस्थ

न्यायालय तहसीलदर मलसीसर को स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि अपीलांट का जिस स्थान पर कब्जा है क्या वह भूमि आबादी में स्थित है और पुराना कब्जा नियमन योग्य है, इसकी जांच के पश्चात ही अपीलांट को सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण निस्तारित करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देशों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर ने अपने निर्णय दिनांक 07.02.2017 में कोई विवेचना नहीं की है । पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 777 रकबा 27.56 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन बंजड दर्ज है। अपीलांट वर्ष 1993 से वादग्रस्त भूमि को लेकर विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे लड़ रहा है जिससे उसका वर्ष 2000 से पूर्व का कब्जा साबित होता है। इस प्रकार राजस्थान सरकार पूर्व वर्ती परिपत्र व राजस्व ग्रुप 6 विभाग के परिपत्र संख्या 9 क (9) (6) राज–6/2000/1 दिनांक 11.1.2008 के आधार पर अपीलांट विवादित भूखण्ड के नियमन का अधिकारी है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित आदेश 07.02.2017 निरस्त किया जाता है। पत्रावली इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय वादग्रस्त भूमि के संबंध में पूर्व में विभिन्न अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में दिये गये निर्देशों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर नियमन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी उपरोक्त एवं वर्तमान परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का पूर्ण परीक्षण कर अगर प्रकरण पुराने कब्जे के आधार पर नियमन योग्य पाया जाता है तो नियमन की कार्यवाही की जावे अन्यथा प्रकरण में विधि अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावे । मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 31.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.5.18

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू